

(असाधारण, भारत के राजपत्र के धारा 4 के भाग-III प्रकाशित)

महा पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण

जी सं0 207

नई दिल्ली

4 जून 2015

अधिसूचना

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 50(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महा पत्तन न्यास, 2015, के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति के खंड 1.5 का अनुपालन करते हुए, महा पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण महा पत्तन न्यास 2015 के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति के परिचालन संबंधी कार्यसाधक दिशा-निर्देश को एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित बनाती है ।

महा पत्तन न्यास 2015 के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति के परिचालन संबंधी कार्यसाधक दिशा-निर्देश

उद्देशिका

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 111 के अधीन पोत परिवहन मंत्रालय (पो प मं) भारत सरकार जारी नीति निदेश का अनुपालन किया जाए, एमओएस के पत्र सं0 8(1)/2014-टीएएमपी दि0 13 जनवरी 2015 को सूचित महा पत्तन न्यास हेतु प्रशुल्क नीति को महा पत्तन के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण ने अधिसूचित करके उसे महा पत्तन न्यास 2015 हेतु प्रशुल्क का निर्धारण के लिए नीति कहा गया जिसे तत्पश्चात् राजपत्र अधिसूचना सं0 30 दि0 27 जनवरी 2015 के द्वारा प्रशुल्क नीति 2015 का नाम दिया ।

2.1 प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 1.5 को इस प्राधिकारी द्वारा परिचालन संबंधी कार्यसाधक दिशा-निर्देश के नीति ढांचे को आवश्यक जारी किया जाए । तदनुसार, इस प्राधिकारी द्वारा कार्यसाधक दिशा-निर्देश के मसौदा को बनाया गया । दि0 30 जनवरी 2015 के पत्र सं0 टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस द्वारा सभी महा पत्तन न्यास को अपना सुझाव देने के लिए कार्यसाधक दिशा-निर्देश के मसौदे का परिचालित किया गया । तदनंतर, दि0 18 अप्रैल 2015 को मुंबई में स्थित इस प्राधिकरण के कार्यालय में सभी महा पत्तन न्यास के साथ परामर्श बैठक का आयोजन किया गया । महा पत्तन न्यास द्वारा प्राप्त लिखित टिप्पणी एवं बैठक के दौरान की गई प्रस्तुतीकरण को रिकार्ड किया गया ।

2.2 परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणी एवं सुझावों पर विचार किया और कार्यसाधक दिशा-निर्देश को अंतिम रूप दिया गया ।

3 प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 1.5 में अनुबंध के साथ अनुपालन किया जाए, महा पत्तन हेतु प्रशुल्क प्राधिकरण (टैंप) द्वारा इस प्रशुल्क नीति 2015 में परिचालित संबंधी कार्यसाधक दिशा-निर्देश को निम्नलिखित इस प्रकार जारी किया जाता है । महा पत्तन न्यास इस प्रशुल्क नीति 2015 और कार्यसाधक दिशा-निर्देश को प्रशुल्क संशोधन हेतु इसके प्रस्ताव को बनाने का अनुपालन करें ।

महा पत्तन न्यास 2015 हेतु प्रशुल्क नीति का परिचालन संबंधी कार्यसाधक मार्गदर्शन

1. सामान्य

1. प्रारंभिक

1.1 यह कार्यसाधक दिशा-निर्देश सभी महा पत्तन न्यास को लागू होता है जो प्रशुल्क नीति 2015 को शासित करता है ।

1.2 कार्यसाधक दिशा-निर्देश प्रशुल्क नीति 2015 के कार्यान्वयन तिथि से प्रभावी है । कार्यसाधक दिशा-निर्देश की मान्यता प्रशुल्क नीति 2015 सहित को-टर्मिनस की मान्यता होती है ।

1.3 कार्यसाधक दिशा-निर्देश सामान्यतः अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के संबंध में लागू होता है :

(i) एमपीटी अधिनियम 1963 की धारा 48 के अधीन जिस प्रकार विनिर्दिष्ट पत्तन द्वारा सेवा प्रदान की गई या सुविधाएं प्रदान की गई शुल्क उगाही की विनियम ।

(ii) प्रभार का निर्धारण, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 49 के अधीन, संपत्ति किसको संबंधित या कब्जे में या व्यवसाय, पत्तन व किसी जगह जो पत्तन सीमा के भीतर या पत्तन के समीप का उपयोग । समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए भूमि नीति दिशा-निर्देश द्वारा पत्तन जगहों के लिए शुल्क का निर्धारण/संशोधन जारी रखा जाएगा ।

(iii) (पायलटेज, हालिंग, मूरिंग, री-मूरिंग, हुक्किंग और माप तथा पोत द्वारा अन्य सेवाएं प्रदान) और (पत्तन के भीतर प्रवेश होनेवाली पोतों पर पत्तन देय) क्रमशः हेतु उपर्युक्त अधिनियम की धारा 49(क) और 49(ख) के अधीन शुल्क का निर्धारण ।

(iv) संयुक्त सेवाओं हेतु समेकित दरमान, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 50 के अधीन निर्धारण ।

(v) प्रशुल्क/प्रभार/शुल्क/देय के आवेदन को नियंत्रित करनेवाली शर्तों का निर्देश ।

- 1.4 जब तक विषय में अन्यथा माँग न हो, समय समय पर संशोधित एमपीटी अधिनियम 1963 और भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 में समान परिभाषा में विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है ।
- 1.5 यदि कार्यसाधक दिशा-निर्देशों को प्रभावित करने कोई कठिनाई पैदा होती है । तो टैंप, महा पत्तन न्यास के परामर्श से इस कार्यसाधक दिशा-निर्देश में संशोधन जारी करेगा, प्रशुल्क नीति 2015 के मूल रूप के साथ असंगत नहीं, इस तरह की कठिनाई को हटाने के लिए आवश्यक हो सकता है।
- 1.6 टैंप, लिखित रूप में रिकार्ड करने के कारणों से, किसी भी पत्तन या पत्तन समूह, संबंधित महा पत्तन न्यास द्वारा आवेदन या अपने आप से इस कार्यसाधक दिशा-निर्देश के किसी भी प्रावधान को आवेदन कर सकते हैं ।
2. दरमान के निर्धारण हेतु महा पत्तन न्यासों के कार्यसाधक दिशा-निर्देश
 - 2.1 प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.1 में जैसा कि निर्धारित किया गया है, हर एक महा पत्तन न्यास वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) को आककलन करेगा, जो तीन वर्षों 2011-12 (व 1) 2012-13 (व 2) और 2013-14 (व 3) के अंतिम लेखा परीक्षा खातों के अनुसार वास्तविक व्यय की राशि का औसत है 31 मार्च 2014 को प्राप्त होनेवाली प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित नियोजित पूंजी पर 16% पर वापसी, जो विधिवत चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत और प्रबंधन अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ।
 - 2.2 वास्तविक व्यय कुल व्यय है जो महा पत्तन न्यासों के लेखा परीक्षा वार्षिक खाता कहलाता है, निम्नलिखित समायोजना के अधीन है :
 - (i) सभी लागत से संबंधित संपदा संबंधित गतिविधि को वर्जित किया जाए ।
 - (ii) कर्जा पर ब्याज को वर्जित ।
 - (iii) एक समय के सिर्फ 1/5 लागते जैसे वेतन के शेष राशि, पेंशन/उपदान के शेषराशि, वेतन संशोधन से उत्पन्न अनुग्रही के शेष राशि आदि को सम्मिलित करना । वैसे ही पेंशन फंड के 1/5 अंशदान को भी एआरआर के परिकलन में शामिल किया जाना चाहिए ।
 - (iv) प्रचालन व्यय के कॉप के अधीन प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन बंधा खर्च और सिर्फ अवमूल्यन को शामिल किया जाना चाहिए ।

- (v) सभी लागत (अर्थात् संचालन व्यय+अवमूल्यन+आबंटित प्रबंधक और सामान्य बंधा खर्च+आबंटित वित्त एवं विविध खर्च) और ऐसे सभी खर्चा जो कैप्टिव बर्थ के लिए उपयुक्त है, चाहे पत्तन और संबंधित उपयोगकर्ता के बीच परस्पर सहमत प्रशुल्क व्यवस्था हो या न हो, को शामिल न किया जाए ।
- 2.3 उपरोक्त रूप में हर तीन वर्ष 2011-12 (व 1) 2012-13 (व 2) और 2013-14 (व 3) का व्यय निर्धारण करना चाहिए । इसके बाद, व्यय का सरल औसत काम किया जाएगा, जैसाकि इसके साथ संकेत दिया गया है । $[(व 1+ व 2+ व 3) / 3]$
- 2.4 वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे को दि0 31 मार्च 2014 रिपोर्ट के अनुसार नियोजित पूंजी में निवल अचल परिसंपत्तियाँ और पूंजीगत कार्य शामिल होते हैं और इस कार्यसाधक दिशा-निर्देश के खंड 2.5 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यशील पूंजी दर्ज है । निवल अवल परिसंपत्तियाँ को दि0 31 मार्च 2014 को निलंब लेखा तैयार किया गया जो नियोजित पूंजी का एक हिस्सा है । 31 मार्च 2014 को संपत्ति गतिविधि से जुड़ी हुई निवल अचल परिसंपत्तियाँ को शामिल नहीं किया जाए । यदि कोई, बीओटी आपरेटर को निवल अचल परिसंपत्तियाँ स्थानांतर किया तो, लेकिन पत्तन न्यास के पुस्तकों में दि0 31 मार्च 2014 को दर्शाया गया उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा । आगे, यदि कोई, निवल अचल परिसंपत्तियां के अंकित मूल को प्रशुल्क नीति के खंड 2.10 के अनुसार कैप्टिव बर्थों के प्रशुल्क निर्धारण के लिए विचार किया गया जिसे शामिल नहीं किया जाएगा ।
- 2.5 कार्यशील पूंजी के लिए मानदंड में सूची, विविध देनदार और नकद शेष शामिल होंगे । पूंजीगत पूर्णों के लिए सूची पर सीमा एक वर्ष की औसत उपभोग होगी और यदि सूची के अन्य मदों की सीमा इंधन को छोड़कर भंडार की उपभोग छः महीने की होगी । यह फिर भी, अनुकूलित पुर्णों के लिए लागू नहीं होगा । पुर्णों पर बीमा उपस्कर खरीद लागत का हिस्सा होगा । विभिन्न देनदारों पर सीमा शेष राशि संपदा आय पर दो महीने और भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे टर्मिनल प्रभार का भुगतान होगा और नकद शेष पर सीमा एक महीने का नकद व्यय होगा ।
- 2.6 दि0 31 मार्च 2014 को 16% पर पूंजीगत पूंजी के प्रतिफल पूंजीगत कार्य की प्रगति में शामिल किया जाएगा ।
- 2.7 जैसाकि टैरिफ नीति 2015 के खंड 2.3 में निर्धारित, एआरआर को वर्ष 2014-15 के लिए लागू थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में 100% अनुक्रमित को 31 मार्च 2014 में आकलन किया गया जिसे टैंप द्वारा महा पत्तन न्यासों को सूचित किया गया । ऊपर

बताए गए महा पत्तन न्यासों द्वारा निर्धारित एआरआर अनुक्रमित जो अधिकतम सीमा के आधार पर महा पत्तन न्यासों ने दरमान को अंकित किया ।

- 2.8 एसओआर को अंकित करने के लिए यातायात को वर्ष 2014-15 में पत्तन के लिए विशेष रूप से कुल यातायात प्राक्कलन पर विचार किया जाएगा ।
- 2.9 उपरोक्त खंड 2.7 के अनुसार वार्षिक राजस्व आवश्यकता के आधार पर और उपरोक्त खंड 2.8 के अनुसार यातायात को ध्यान में रखते हुए, महा पत्तन न्यासों को अपने व्यावसायिक निर्णय के आधार पर बाज़ार शक्तियों को प्रतिक्रिया देने के लिए निर्धारित करने के लिए लचक होगा । अनुक्रमित वार्षिक राजस्व आवश्यकता की अधिकतम सीमा के भीतर एसओआर को अंकित करने, विधिवत् चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और प्रबंधन अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित । इस संबंध में, उपरोक्त खंड 2.8 में महा पत्तन न्यास के प्रत्येक टैरिफ मर्दों को संबंधित यातायात के लिए प्रस्तावित एसओआर में आय प्राक्कलन के विस्तृत कार्य को दर्शाया जाएगा और एसओआर के सभी टैरिफ मर्दों से निर्धारित राजस्व का राशि को स्थापित करके उपरोक्त खंड 2.7 के निर्धारित अनुक्रमित आर आर को विधिवत् चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और प्रबंधन अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।
- 2.10 एसओआर को तैयार करते समय, महा पत्तन से संबंधित मौजूदा एसओआर, यदि कोई, महा पत्तन न्यासों को यथामूल्य घाट शुल्क जहां तक संभव हो और इन कार्गो या मार्केट निर्धारित दर के संचालन हेतु विशेष ध्यान रखा जाने के लिए इन मामलों का विचार किया जाए जो विशिष्ट घाट शुल्क को निर्धारित करता है ।
- 2.11 एसओआर को तैयार करते समय, अनुमोदित पेंशन निधि उगाही, यदि कोई, (वर्तमान में) महा पत्तन न्यासों के मौजूदा दरमान जो एक आर के देयता को पूरा करने के साथ समाप्त हो जाएंगे । महा पत्तन न्यास द्वारा बनाए गए संपत्ति गतिविधि के बाकी को इस्तेमाल करने के लिए महा पत्तन न्यासों को लचक होगा और टैरिफ नीति 2015 के खंड 4.2 के अनुसार संबंधित महा पत्तन न्यासों के न्यासी मंडल द्वारा संपत्ति गतिविधियों के भविष्य प्रोद्घवन को योग्य माना गया जो पेंशन निधि को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अतिरिक्त श्रम या किसी अन्य उद्देश्य की लागत को पूरा करने के लिए पत्तन द्वारा योग्य माना गया । आगे, इसी उद्देश्य के लिए संपदा गतिविधि के अधिशेष के लिए उपयोग किया जा सकता है ।
- 2.12 उपरोक्त 2.10 और 2.11 खंडों में निर्धारित संशोधन के अलावा, संबंधित महा पत्तन न्यास के एसओआर में निर्धारित मौजूदा सशर्तों को यथापूर्व स्थिति में बनाए रखा जाएगा । अगर पत्तन के दृष्टि से यदि कोई मौजूदा सशर्त को संशोधित/हटा देना या नई

शर्त को परिचालन या किसी अन्य आकस्मिक स्थिति के वजह से जोड़ना, एआरआर सूचकांक में, यदि कोई तो पत्तन वित्तीय/ राजस्व प्रभाव को किसी भी कारण से रिकार्ड या बंदी बनाने के कारण से इस तरह के संशोधन को निर्धारित कर सकता है ।

2.13 टैरिफ नीति 2015 की खंड 2.10 के अनुसार जहां पत्तन और संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज पारस्परिक समझौते के जरिए, कैप्टिव बर्थ / सुविधाओं के लिए एक अलग टैरिफ व्यवस्था है, यह संबंधित समझौते द्वारा शासित होगा । संबंधित महा पत्तन न्यास इस तरह के पारस्परिक रूप से सहमत दर की अधिसूचना के लिए टैंप से संपर्क करेगा । कैप्टिव बर्थ / सुविधाओं को टैरिफ में शामिल नहीं किया जाएगा जो टैंप द्वारा विशिष्ट करार के लिए निर्धारित किया जाएगा ।

3. मिसिलबंदी की क्रियाविधि एवं प्रस्ताव का प्रक्रमण

3.1.1. एसओआर, साथ ही उनके सशर्त निभानेवाली, और संपत्ति साथ साथ सेवा या सुविधाओं प्रदान करनेवाला व्यक्तिगत महा पत्तन न्यास द्वारा बनाया गया निष्पादन स्तर के (1) (2) (3) (4) टैंप द्वारा निर्धारित ऐसे समर्थक विवरण के साथ इन कार्यसाधक दिशा-निर्देशों के फार्म 1 से 5 के रूप में संलग्न फार्मेटों और टैरिफ नीति 2015 के अनुसार, समय समय पर यथा संशोधित और जांच सूची के अनुसार दस्तावेजों की मिसिलबंदी ।

3.1.2 प्रत्येक महा पत्तन न्यासों के एसओआर के कार्यान्वयन के अपेक्षित तिथि से 90 दिनों के पूर्व प्रस्तावित एसओआर और निष्पादन मानकों को प्रस्तुत किया जाए । महा पत्तन न्यास न्यासी मंडल के अनुमोदन सहित उनके प्रस्ताव को भेज दिया जाता है । महा पत्तन न्यास अपने प्रस्तावों की प्रस्तुतीकरण तिथि के एक महीने के भीतर न्यासी मंडल के अनुमोदन की एक प्रति लिखित रूप में कारण बताते हुए प्रस्तुत करते हैं ।

3.2 महा पत्तन न्यास एसओआर के मसौदा सहित प्रस्तावित निष्पादन मानक को वेबसाइट में होस्ट करते हैं और 15 दिनों के भीतर संबंधित हितधारक / उपभोक्ताओं के टिप्पणियों के लिए पत्तन एवं टैंप के मनोनीत ई-मेल पता पेदान करते हैं । यह भी महा पत्तन न्यासों के संबंधित उपभोक्ताओं/ उपयोगकर्ता संगठनों को भी सूचित किया जाता है । एक ही समय पर, महा पत्तन न्यास को कार्यसाधक दिशा-निर्देशों से जुड़ी लागत फार्मेटों में होस्टिंग की तिथि से 3 दिनों के भीतर टैंप को प्रस्तावित निष्पादन मानकों के साथ एसओआर दर्ज करना चाहिए ।

- 3.3 पत्तन उपभोक्ताओं से टैप से टिप्पणियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों की तुलना में, पत्तन उपभोक्ताओं से प्राप्त की गई टिप्पणियों पर महा पत्तन न्यासों को अपना जवाब प्रस्तुत करेगा ।
- 3.4 अगर इस प्रस्ताव या मामले पर उपभोक्ताओं से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो, टैप को किसी भी संयुक्त सुनवाई का आयोजन नहीं करना पड़ेगा । इस मामले में अगर उपभोक्ताओं द्वारा कोई आपत्ति उठाए गए तो टैप संबंधित पार्टियों तथा पत्तन उपभोक्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा । एक मामले या प्रस्ताव के सुनवाई को पत्तन और पत्तन उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से, प्राधिकरण के कार्यालय में या संबंधित महा पत्तन न्यास पर आयोजित किया जाएगा ।
- 3.5 वेबसाइट पर होस्ट किए गए महा पत्तन न्यास के एसओआर के मसौदे को टैप पुष्टि कर सकता है। अगर आवश्यक हो तो, एसओआर के किसी सशर्त या प्रस्तावित टैरिफ को संशोधित कर सकता है । दोनों मामलों में टैप एक बोलनेवाला आदेश पारित करेगा और दर्ज करने के 60-75 दिनों के भीतर सरकारी राजपत्र में महा पत्तन द्वारा प्रस्तावित निष्पादन मानकों के साथ एसओआर को सूचित करेगा ।
- 3.6 टैरिफ मामले में परामर्श प्रक्रिया अनुकरण नहीं किया जाएगा जो महा पत्तन न्यास अधिनियम का धारा 111 के तहत जारी केन्द्र सरकार नीति निदेश कार्यान्वयन करने विशेष रूप से अपेक्षित पुनरीक्षण करना है । यह टैरिफ को ऐसी मद/भाग के लिए सीमित है, चाहे जो निदेश लागू है ।
- 3.7 अपने अपने टैरिफ आदेशों में यदि नहीं तो दूसरे ढंग से विभिन्न व्यवस्था विशेष रूप से उल्लिखित, राजपत्र अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद रूपांतरित प्रभार लागू होगा । अपवादात्मक मामले में कारण रिकार्ड करने के लिए पूर्वव्यापी परिणाम दिया जाय ।
- 3.8 इस प्रकार अधिसूचित एसओआर 3 वर्षों तक विधिमान्य रहा जाएगा बशर्ते कि टैरिफ नीति, 2015 का खण्ड 2.8 में उल्लिखितानुसार वार्षिक निर्देशिका उक्त टैरिफ नीति का खण्ड 3.2 के साथ पढ़ा जाय ।
- 4 टैप द्वारा अधिदेशात्मक प्रकटीकरण का प्रकाशन
- टैप ने अपने वेबसाइट पर टैरिफ नीति का खण्ड 7.1 के तहत महा पत्तन न्यासों से प्राप्त सभी जानकारियों को प्रकाशित किया जाएगा । यद्यपि, टैप ने प्राप्त कुछ डाटा/जानकारी जो व्यापारिक सूक्ष्मग्राही हो, प्रकाशन न करने के बारे में किसी महा पत्तन

न्यास से अनुरोध पर विचार किया जाएगा । ऐसी अनुरोध प्रश्न पर डाटा/जानकारी का वाणिज्य संवेदी से संबंधित विस्तृत प्रतिपादन के साथ जाना चाहिए और ऐसी प्रकाशन पर उनके राजस्व/प्रचालन में संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इस संबंध में टैंप का निर्णय अंतिम होगा ।

5 अन्य पहलू

5.1 दरों का निर्धारण/संशोधन हेतु टॉरिफ प्रस्ताव एक मुकदमा के रूप में पंजीकृत किया जाएगा ।

5.2 टैंप ने पत्तन का टॉरिफ प्रस्ताव पर परामर्श करने योग्य प्रत्येक पत्तन पर संघटनों की एक सूची बनाई रखेगी ।

5.3 प्रयोक्ताओं को आरोग्य पोर्ट के कारण उचित स्तर से देरी के लिए शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी ।

5.4 प्रयोक्ताओं को विलंबित भुगतान पर ब्याज भुगतान करना होगा और पत्तन ने उसी दर पर विलंबित वापसी पर भुगतान करना होगा ।

5.5.1 ब्याज की दर प्रति वर्ष 15% होगी ।

5.5.2. प्रयोक्ता द्वारा भुगतान में विलंब को बिलों को बढ़ाने की तारीख के 10 दिन बाद गिना जाएगा । यह प्रावधान इन मामले में लागू नहीं होगा जहां महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में निर्धारित और/या टॉरिफ में निर्धारित शर्तों के अनुसार सेवाओं का लाभ उठाने/पत्तन संपत्ति का उपयोग से पहले भुगतान किया जाना है ।

5.5.3. पत्तन द्वारा वापसी में विलंब को सेवा की समाप्ति की तिथि से 20 दिन बाद या प्रयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों का उत्पादन पर, जो भी बाद में हो, गिना जाएगा ।

5.6.1 यूएस डॉलर के मामले में यूएस डॉलर में अपने समतुल्य भारतीय रूपए में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित दर पर या बाजार की खरीद की दर से अधिसूचित दर पर रूपांतरण के बाद भारतीय रूपए में सभी यूएस डॉलर मूल्य में टॉरिफ वसूल की जाएगी । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार समय समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

5.6.2 पत्तन की सीमा में पोत के प्रवेश के दिन को इस तरह के रूपांतरण के लिए दिन के रूप में माना जाएगा । कंटेनर पर शुल्क के संबंध में, आयात कंटेनर के मामले में पोत के प्रवेश के दिन और निर्यात कंटेनर के मामले में पोर्ट में आनेवाले कंटेनर के आगमन का दिन इस तरह के रूपांतरण के लिए दिन के रूप में माना जाएगा ।

- 5.6.3. विनियम दर की एक नियमित समीक्षा, पत्तन में लंबी अवधि के लिए रहने वाले जहाजों के मामले में आगमन की तिथि से 30 दिनों में एक बार की जाएगी। बिल्लिंग का आधार समीक्षा के समय प्रचलित उचित विनियम दर के संदर्भ में संभावित रूप से बदलेगा।
- 5.7.1 जब भी किसी सेवा/कार्गो के लिए एक विशेष टॉरिफ विशेष पत्तन के एसओआर में उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित महा पत्तन न्यास उक्त नए कार्गो/उपकरण/सेवा अपनाए जानेवाले टॉरिफ हेतु टॉरिफ की **अधिसूचना** के लिए टैप का संपर्क कर सकता है और किसी भी अन्य महा पत्तन न्यास में तुलनात्मक माल/उपकरण/सेवा के लिए तय किया गया। यदि अन्य कोई प्रमुख पत्तन न्यास में कोई दर उपलब्ध नहीं है या यदि प्राप्त दर प्रस्तावित नए कार्गो/सेवा/सुविधा का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, तो इष्टतम क्षमता के संदर्भ में मूल्यांकित निम्नलिखित 2008 दिशा निर्देशों के सिद्धांतों या योग्य क्षमता के आधार पर या सेवा/सुविधा/उपकरण का तकनीकी विनिर्देश हेतु पत्तन ने प्रस्ताव का फाइल किया जाय। यदि उपर्युक्त निधाश्रत विकल्पों पर आधारित टॉरिफका निर्धारण संभव नहीं है तो महा पत्तन न्यास को पर्याप्त कारण देने के बाद लागत प्लस 16% रिटर्न फार्मुला पर आधारित दरों का प्रस्ताव हो सकता है।
- 5.7.2 नई सुविधा या नई सेवा के उपयोग के लिए दर की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव नई कार्गो सुविधा या नई सेवा की शुरुआत की अपेक्षित तिथि से कम से कम 60 दिन पहले टैप को भेज दिया जाएगा। नया कार्गो/नई सेवा हेतु टॉरिफनिर्धारण के लिए टैप निर्धारितानुसार सामान्य परामर्श प्रक्रिया का पालन करेगा।
- 5.7.3 इसके साथ ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ दर पूरी तरह से अधियूचित होने तक तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दर लगाई जा सकती है।
- 5.7.4 तदर्थ दर को संचालित करना और अंतरिम अवधि में लागू होनेवाले निष्पादन मानदण्ड को इस कार्यकारी मार्गदर्शन के खण्ड 5.7.1 में उल्लिखित दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए और संबंधित उपभोक्ता के साथ परामर्श होना चाहिए।
- 5.7.5 टैप द्वारा नई कार्गो/सेवा हेतु निर्धारित अंतिम दर जिसके लिए आरएसओआर में दर को निर्धारित नहीं किया जाता है। सामान्यतः केवल संभावित रूप से प्रभावी होगा। तदर्थ पद्धति में अपनाई गई अंतरिम दर इस तरह के रूप में पहचानी जाएगी जब तक कि इसे अत्यधिक से ज्यादा कुछ पाया जाए, जिसमें कुछ बदलाव पूर्वव्यापी हो।
6. अन्य अधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा लगाए गए प्रभारों का विनियमन

अन्य प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए टॉरिफ जहाँ प्राधिकरण व्यवस्था बीओटी रिआयत करार के अलावा 42(3) के अधीन है, इसे टॉरिफनीति, 2015 की धारा 901 से 9.3 तक में निर्धारित प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा। ऐसे मामले में, संबंधित पत्तन न्यास प्राधिकरण व्यवस्था में आवश्यक शर्त सहित उचित रूप से सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित सेवा प्रदाताओं निर्धारित सीमा दर से अधिक शुल्क नहीं लेते हैं।

7. आदेशों की समीक्षा

7.1 किसी भी टॉरिफ आदेश के लिए आवेदन, संबद्ध कार्यवाही में माना गया रिकार्ड के अग्रभाग पर स्पष्ट होनेवाली त्रुटियों की सीमित सीमा तक पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि सरकारी राजपत्र में अधियूचना के 30 दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया गया हो।

II. तकनीकी

8. कार्गो संबंधी प्रभार

8.1 भारतीय रूपरेखा के मामले में कार्गो संबंधी प्रभार को जारी रखा जाएगा।

8.2.1 घाट दर या तो संचालित कार्गो का वजन या मात्रा प्रति यूनिट पर होगा।

8.2.2 वार्फेज अनुसूची के तहत अनिर्दिष्ट श्रेणी के अधीन किसी भी कार्गो को वर्गीकृत करने से पहले, संबंधित सीमा शुल्क वर्गीकरण को यह पता करने के लिए उल्लेख करना चाहिए कि क्या कार्गो का वर्गीकरण वार्फेज अनुसूची में उल्लिखित किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत किया जा सकता है या नहीं।

8.3 सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार, तटीय कार्गो/कंटेनरों के लिए रिआयत टॉरिफनिर्धारित किया जाएगा। यह निर्धारित किया गया है कि सभी तटीय कार्गो/कंटेनर हेतु कार्गो/कंटेनर संबंधित शुल्क, थर्मल कोयले के अलावा और कच्चे तेल, लोह अयस्क व लोह अयस्क प्लेट सहित पीओएल सामान्य कार्गो/कंटेनर से संबंधित शुल्कों के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्गो संबंधी शुल्कों के मामले में, शिपशोर स्थानांतरण के लिए सभी संबंधित कार्गो संचालन शुल्क और वार्फेज सहित भंजरण यार्ड से स्थानांतरित करने के लिए रिआयत की अनुमति दी जानी चाहिए।

8.4 महा पत्तन न्यासों उनके एसओआर में, 4 सितंबर 2014 को पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए तटीय पोत को प्राथमिकता बर्थिंग पर दिशानिर्देश दिया जाएगा जो सभी

महा पत्तन न्यासों द्वारा सामान्य अंगीकरण के लिए टैंप द्वारा अपना आदेश सं0 टैंप/52/2014 जीईएनएल, दि0 28 नवंबर 2014 को अधिसूचित किया गया ।

- 8.5 अतिरिक्त कार्गो आकर्षित करने की दृष्टि से महा पत्तन न्यासों को थोक/कैप्टीव सुविधा प्रचालक द्वारा अधिक निष्पादन को प्रेरित करने के लिए दरों के स्लाइडिंग स्केल को अपनाने का प्रयास करना चाहिए । निर्धारित सीमांत दरों के भीतर, पत्तन ने गैर भेदभावपूर्ण और उद्देश्य के आधार पर ऐसी टॉरिफयोजना तय कर सकता है ।
- 8.6 विलंब शुल्क/भंडारण प्रभारों के लिए, अनुमोदित मुक्त दिन सीमाशुल्क अधिसूचित छुट्टियों और पत्तन गैर कार्य दिवस के एकांकित होंगे । स्वतंत्र दिवस की संख्या, हालांकि, व्यक्तिगत पत्तन द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है । विलंब शुल्क/भंडारण प्रभार शुरू होने पर सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाशों व पत्तन गैर कार्यदिवस के लिए कोई भत्ता नहीं किया जाएगा ।
- 8.7 यदि परिचालन क्षेत्र किराए पर उपभोक्ताओं को पट्टे पर दिया जाता है, कंटेनर पर भंडारण प्रभार/ उसीपर संग्रहित माल पर लगाया नहीं जाएगा ।
- 8.8 पत्तन द्वारा किए गए स्टीवडोरिंग गतिविधि के लिए या ऑनबोर्ड श्रम की आपूर्ति हेतु शुल्क पोर्ट की दर के माप में शामिल किया जा सकता है । जहां भी आवश्यक हो वहां अलग से दिखाया गया है।
 - 8.8.2 स्टीवडोरिंग हेतु दर, जहां तक एक अलग गतिविधि के रूप में, पत्तन द्वारा किया गया था, प्रत्येक टन आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए जहां केवल ऑनबोर्ड श्रम की आपूर्ति की जाती है, वास्तविक वेतन और प्रतिशत लेवी निर्धारित किया जाएगा । अन्य मामले में, टॉरिफको उत्पादकता से जोड़ा जा सकता है ।
 - 8.8.3 वेतन प्लस प्रतिशत लेवी प्रणाली में, वास्तविक वेतन प्लस प्रतिशत लेवी के अलावा पीस-रेट भुगतान भी वसूल किए जाएंगे । राष्ट्रीय मजदूरी निपटारा और राष्ट्रीय ट्रिबुनल पंचाट के आधार पर मैनिंग स्केल के संदर्भ में पत्तन को समय समय पर डेटाम और पीस रेट योजना की दरों को संशोधित करना चाहिए ।
9. कंटेनर से संबंधित प्रभार
 - 9.1 सामान्यतः पत्तन के विकल्प पर एक समग्र बॉक्स रेट मूल कंटेनर संचालन सेवाएं जैसे शिप शोर स्थानांतरण, बर्थ व यार्ड के बीच संचालन और यार्ड पर लिफ्ट ऑफ/लिफ्ट ऑन, के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जब इनमें से कोई भी सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैतब

अनुमति दी जाती है। आईसीडी कंटेनर के मामले में इसी तरह के दृष्टिकोण को बढ़ाया जाएगा।

- 9.2 भरण और लॉशिंग/अन्लॉशिंग के निष्पादन को दक्षता/सुरक्षा के हित में संचालन के आवश्यक हिस्से के रूप में माना जाएगा। पत्तन इसके लिए प्रभार लगाया जा सकता है, यदि वे सेवा प्रदान करता है।
- 9.3 संचित बाक्स दर से कार्गो संबंधित प्रभारों (जो रूपए मूल्यवाला होना चाहिए) का वियोजन कंटेनर संबंधी प्रभार विदेशी जा रहे जहाजों के मामले में यूएस डालर के रूप में और तटीय जहाजों के मामले में रूपए निहित है।
- 9.4 लोड किए गए और खाली कंटेनरों के शिप-शोर संचालन के लिए शुल्क समान ही रहेगा और अलग नहीं होगा। हालांकि, खतरनाक सामानवाले कंटेनर, रीफर व किसी विशेष सेवाएं के लिए उच्च शुल्क लगाया जाएगा।
- 9.5 विभिन्न आकार के कंटेनरों के लिए शुल्क निर्धारित करते समय निम्नलिखित अनुपात बनाए रखा जाएगा।

प्रभार	20' लंबाई का कंटेनर	20' ऊपर लेकिन 40 तक लंबाई का कंटेनर	40' ऊपर लंबाई का कंटेनर
संचालन प्रभार	X	1.5 X	2 X
भंडारण प्रभार	Y	2 Y	3 Y

- 9.6 ट्रान्शिपमेंट कंटेनरों के लिए हैंडलिंग शुल्क रियायत होंगे। इस तरह के शुल्क लोड करने या उतराई चक्र में सामान्य संचालन प्रचालन के लिए संचालन शुल्क के 1.5 गुना से अधिक नहीं होंगे। तटीय कंटेनरों के ट्रान्शिपमेंट के मामले में लोड करने या उतराई चक्र में सामान्य संचालन प्रचालन के लिए तटीय कंटेनर हेतु उपरोक्त निर्धारित संचालन प्रभार में रियायत को लागू होनेवाले संचालन प्रभार (जो उपरोक्त धारा 8.3 में विनिर्दिष्ट रियायतों के अधीन है) के संदर्भ में गणना की जाएगी।

चित्रण

तटीय कंटेनरों के संबंध में सामान्य आयात या निर्यात कंटेनरों के लिए एक्स संचालन प्रभार है और वाई सामान्य प्रचालन के लिए दर है (जहां उपरोक्त धारा 8.3 में विनिर्दिष्ट रियायतों को देने के बाद वाई, एक्स के ऊपर आ गया है)

- 9.7.1 वार्फेज अनुसूची में व्यक्तिगत वर्गीकरण के संदर्भ के बिना कंटेनरीकृत कार्गो पर वार्फेज प्रति टीईयू के लिए निश्चित एकमुश्त राशि होनी चाहिए ।
- 9.7.2 लोड किए गए कंटेनर पर ज़मीन किराया (भंडारण प्रभार) के अतिरिक्त, कंटेनरीकृत कार्गो पर अलग से शुल्क लगाया जा सकता है, मात्र यदि ऐसे माल के लिए अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- 9.8.1 पावर आपूर्ति व रीफर कंटेनर की निगरानी के लिए प्रभार यूएस डालर बने रहेंगे और 4 घंटे की इकाई पर लगाया गया है ।
- 9.8.2 अन्य सेवाओं के लिए कंटेनरों को पुनः प्राप्त करने के लिए शुल्क लगाया जाएगा यदि पत्तन ने उपभोगकर्ताओं के अनुरोध पर सेवा प्रदान की है ।
- 9.8.3 खतरनाक कंटेनरों के मामले में 50% की सीमा तक संचालन व भंडारण प्रभार लगाया जा सकता है । विमितीय कंटेनर से अधिक के लिए भंडारण प्रभार ज़मीन स्लॉट्स की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाएगा जो संबंधित कंटेनरों में वर्तमान अभ्यास के अनुसार मौजूद है ।
- 9.9.1 निःशुल्क अवकाश समय (भंडारण) सीमाशुल्क अधिसूचित छुट्टियां और पत्तन गैर कार्य दिवस के अनन्य होगा । स्वतंत्र दिनों की सं०, यद्यपि, व्यक्तिगत पत्तन द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है ।
- 9.9.2 आयात कंटेनरों के लिए निःशुल्क समय (भंडारण) अवधि कंटेनर के दिन के अगले दिन से शुरू हो जाएगी और कंटेनर टर्मिनल में आनेवाले समय से मुक्त अवधि शुरू हो जाएगी ।
- 9.9.3 परित्यक्त एफसीएल कंटेनर/शिप्पर के स्वामित्ववाले कंटेनरों पर भंडारण प्रभार लिखित रूप में विच्छेदन की सूचना प्राप्त होने की तारीख तक या कंटेनर के उतरने के दिन से 75 दिनों तक लगाया जाएगा, जो भी पहले से निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :
- (i) परेषिती किसी भी समय परित्याग का एक पत्र जारी कर सकता है ।
- (ii) यदि परेषिती इस तरह के परित्याग के पत्र जारी नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो कंटेनर

एजेंट/एमएलओ भी त्यागपत्र जारी कर सकता है बशर्ते कि शर्तों के अधीन हो ।

- (क) लाइन कार्गो के साथ कंटेनर की परिरक्षा फिर से शुरू होगी और या तो इसे वापस लेगा या इसे पत्तन परिसर से हटा देगा और
- (ख) लाइन कंटेनर की हिरासत शुरू करने से पहले कार्गो और कंटेनर पर अर्जित सभी पोर्ट शुल्क का भुगतान करेगा ।
- (iii) कंटेनर एजेंट/एम एल ओ आवश्यक औपचारिकताओं को ध्यान में रखेगा और परिवहन की लागत और विघटित हो जाएगा । निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कार्रवाई करने में उनकी असफलता के मामले में, कंटेनर पर भंडारण प्रभार तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी आवश्यक कार्रवाई जहाजों को नष्ट करने के लिए शिपिंग लाइनों द्वारा नहीं की जाती है ।
- (iv) जहां कंटेनर को कस्टम अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया/जब्त किया गया है और 75 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर ही यह नहीं किया जा सकता है, भंडारण शुल्क कार्गो के कस्टम आदेश जारी करनेवाले दिन से आवेदन करने के लिए बंद हो जाएगा आवश्यक औपचारिकताएं और परिवहन और डीफिलिंग की लागत को लेकर अन्यथा, जब्त/जब्त किए गए कंटेनरों को बंदरगाह परिसर से सीमा बंधन वाले क्षेत्र में लाइन/ अनुज्ञेय द्वारा हटा दिया जाना चाहिए और उस मामले में भंडारण प्रभार ऐसे निष्कासन के दिन से आवेदन करने के लिए संघर्ष करना होगा ।

10. पोत संबंधित प्रभार

- 10.1.1 विदेशी जा रहे जहाजों के लिए पोत संबंधी शुल्क अमरीकी डॉलर में मूल्यवान बने रहेंगे और भारतीय रूपए में बरामद होंगे ।
- 10.1.2 हालांकि, तटीय जहाजों के मामले में जहाज से संबंधित शुल्क अन्य जहाजों के लिए संबंधित शुल्क का 60% से अधिक नहीं होना चाहिए । इसके अलावा, इन शुल्कों को भारतीय रूपए और तटीय दरों की पुनर्संरचना के साथ-साथ दरों के स्केल के प्रत्येक सामान्य संशोधन के समय प्रचलित विनिमय दर के संदर्भ में किया जाना चाहिए ।
- 10.2 अपने प्रमाणन द्वारा तैयार किए गए किसी पोत की स्थिति तय करने के लिए प्रासंगिक कारक है कि क्या पोत विदेशी है या तटीय है ?
- 10.3 अंतर्राष्ट्रीय टन भार अलग-अलग गिटी टैंक के साथ तेल टैंकों के मामले में बंदरगाह की देयराशि के लिए गिनी जाएगी ।

- 10.4 पैलटेशन-टू-टैवेज शुल्क समग्र रहेगा और इसमें एक आवक और एक बाहरी संचालन शामिल होगा जिसमें आवश्यक संख्या के टग/लांच की पर्याप्त क्षमता और पोर्ट सुविधा के लिए जहाजों को स्थानांतरित किया जाएगा । केवल जहाजों के अनुरोध पर स्थानांतरण अलग-अलग स्थानांतरण शुल्क को आकर्षित करेगा ।
- 10.5.1 बर्थ किराया प्रभार, सेवाओं/सुविधाओं के प्रमुख घटकों के लिए छूट के साथ तुलनीय सेवाएं/सुविधाओं वाले बर्थ समूह द्वारा निर्धारित नहीं किए जाएंगे ।
- 10.5.2 सामान्य माल या बहुउद्देश्यीय बर्थ के लिए समग्र बर्थ किराया प्रभार किसी भी अवसर पर यदि छूट/अनुदान के प्रावधान के साथ आयात/निर्यात परिचालन के दौरान घाट क्रेन(विशेष उद्देश्य क्रेन/हैंडलिंग सिस्टम के अलावा) के उपयोग के लिए शुल्क शामिल करना जारी रखेगा-टूटने, नियोजित रखरखाव या किसी अन्य कारण के कारण कोई घाट क्रेन उपलब्ध नहीं किया जा सकता है ।
- 10.5.3 बर्थ किराया प्रभारों के साथ-साथ लंगर शुल्क रोडस्टेड शुल्क इत्यादि के लिए यूनिट, जो कि किसी जहाज के रहने की अवधि से जुड़ी होती है, प्रति घटन होगी ।
- 10.6.1 जहाज के समय के चार घंटे बाद बर्थ का किराया के लिए तत्परता के संकेत दे सकता है बर्थ किराया की समाप्ति के लिए निर्धारित समय सीमा अनुकूल ज्वार की स्थिति या खराब मौसम के कारण या रात नेविगेशन सुविधाओं के अभाव के कारण जहाज के इंतजार के समय को अलग कर देगा ।
- 10.6.2 जाली संकेत के लिए एक दिन के बर्थ किराया प्रभार के बराबर दंडात्मक बर्थ किराया होगा ।
- 10.6.3 पोत के मालिक एजेंट, अनुकूल मौसम की स्थिति और बंदरगाहों द्वारा तय किए गए ज्वारिय संचालन के अनुरूप यात्रा करने के लिए तत्परता का संकेत देते हैं ।
- 10.7 आब्जेक्टिव मानदंड या हासिल करने के लिए लोड करने/उतराई मानदंडों को निर्दिष्ट करना होगा ऐसा न होने पर दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार देय होगा । मानदंडों को कार्गो प्रकार, उपकरण और अन्य सुविधाओं को संभालने के लिए बर्थ पर ध्यान देना होगा ।
- 10.8 संबंधित उपकरणों/क्राफ्ट के लिए उपकरणों/क्राफ्ट के प्रभार को व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए ; उन्हें विभिन्न क्षमताओं की श्रेणियों के आधार पर उपकरणों/क्राफ्ट के एक समूह के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए ।

10.9 जहाज से संबंधित शुल्क लगाने के लिए यूनिट संबंधित पोत के सकल रजिस्टर्ड टनेज (जीआरटी) होगी । बंदरगाह और बर्थ किराया के मामले में, जीआरटी की एक स्लैब होगी । नीचे दिए गए अनुसार तीन स्लैब्स में पायलटेज और स्थानांतरण शुल्क निर्धारित किए जाएंगे :

- (1) 30,000 जीआरटी तक
- (2) 30,000 से 60,000 जीआरटी
- (3) 60,000 जीआरटी से ऊपर

पहली स्लैब की यूनिट दर पर 20% की कमी दूसरे स्लैब के लिए प्रभावित होगी और पहली स्लैब की यूनिट दर पर 30% की कमी बड़ेगी । जीआरटी पर तीसरे स्लैब के लिए प्रभावी होगी जैसा कि नीचे सचित्र है :

चित्रण

पहली स्लैब के लिए पायलटेज चार्ज, अर्थात् किसी विदेशी जहाज के लिए 30,000 जीआरटी तक प्रति जीआरटी यूएस 1 और तटीय पोत के लिए जीआरटी के लिए रु36 होना चाहिए । फिर तीनों के लिए टैरिफ स्लैब निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा ।

पोत आकार	विदेशी जा रहे जहाज के लिए दर (यूएस\$ में)	तटीय जहाज के लिए दर (रु में)
30,000 जीआरटी तक	\$1.00 प्रति जीआरटी	रु36.00 प्रति जीआरटी
30,000 से 60,000 जीआरटी	30,000 जीआरटी जहाजों के लिए यूएस\$ 30,000 + यूएस\$ 0.80 से ऊपर और 60,000 जीआरटी तक	30,000 जीआरटी से ऊपर और 60,000 जीआरटी तक जहाजों के लिए रु10,000+ रु28.80
60,000 जीआरटी से ऊपर	60,000 जीआरटी से ऊपर जहाजों के लिए यूएस\$ 54,000 + यूएस\$ 0.70 यूएस\$	60,000 जीआरटी से ऊपर जहाजों के लिए रु19,44,000+ रु25.20

11. टैंप, महा पत्तन न्यासों के दरों के मान/टैरिफ के निर्धारण के मामले में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना जारी रखेगा ।

12. संपत्ति का पट्टा

समय-समय पर इन मामलों में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन टैंप और महा पत्तन न्यासों द्वारा किया जाएगा ।

(टी एस बालसुब्रमण्यन)
सदस्य (वित्त)

टैरिफ नीति 2015 के अधीन महा पत्तन न्यासों द्वारा टैरिफ प्रस्ताव दायर करने हेतु प्रस्तुत किए जानेवाले प्रपत्र व अन्य जानकारी/दस्तावेजों की जाँचसूची और टैरिफ नीति, 2015 संक्रियात्मक करने के लिए टैंप द्वारा जारी कार्य दिशा-निर्देशिका

क्र सं०	टैरिफ दायर करनेवाले प्रपत्रों का शीर्ष	निशान
1	आवरण पत्र- वचनबंध सहित	
2	प्रस्ताव की प्रमुख बातें	
3	महा पत्तन न्यास 2015 हेतु टैरिफ का निर्धारण के लिए नीति के अधीन एपीआर का अभिकलन-फार्म 1	
4	प्रबंधन व सामान्य ऊपरीशीर्ष के संबंध में कार्य -फार्म 2	
5	प्रस्तावित दरमान पर राजस्व प्राक्कलन -फार्म 3	
6	मानकों के अनुसार कार्यशील पूंजी का अभिकलन -फार्म 4	
7	विगत तीन वर्षों 2011-12 से 2013-14 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के साथ वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट	
8	प्रस्तावित दरमान	
9	प्रचलित एसओआर व सोपाधिकतों के सामने प्रस्तावित टैरिफ व सोपाधिकता की तुलना -फार्म 5	
10	लागत विवरण में विचार किए गए खर्चों के संबंध में समाधान-विवरण और विचाराधीन प्रत्येक वर्षों हेतु लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिबिंबित कुल खर्च	
11	प्रस्तावित निष्पादन स्तर -फार्म 6	
12	क्रम सं० 1,2,3,4,5,6,8,9,10 व 11 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी के साथ प्रस्तुत किया जाय । एक्सेल फार्मेट में प्रस्तुत सभी फार्म उचित अनुबंध के साथ हो जाना चाहिए ।	
13	कोई अन्य सुसंगत जानकारी (कृपया उल्लेख करें)	

वचनबंध (आवरण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाय)

हमने, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी व महा पत्तनों (टीएएमपी) (धारक सं० टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस, राजपत्र अधिसूचना सं० 30 दि० 27 जनवरी 2015) हेतु टैरिफ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित एवं टैंप द्वारा जारी कार्य निर्देशिका का ध्यानपूर्वक स्वीकार किए हैं और महा पत्तनों हेतु टैरिफ प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्धारित फार्मेट व समर्थक दस्तावेजों में उक्त टैरिफ नीति व कार्य निर्देशिका के अनुसार टैरिफ का निर्धारण हेतु प्रस्ताव तैयार किए हैं । प्रस्तावित टैरिफ ----- (उल्लेख तिथि) से -----(उल्लेख तिथि) तक तीन वर्षों की अवधि हेतु विधिमान्यता होगी और हम विधिमान्यता अवधि की समाप्ति के कम से कम तीन माह के पहले उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

हस्ताक्षर

दिनांक

महा पत्तन न्यासों, 2015 हेतु टैरिफ का निर्धारण के लिए नीति के अधीन वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अभिकलन					
क्र सं०	विवरण		वर्ष 1 (2011-12)	वर्ष 2 (2012-13)	वर्ष 3 (2013-14)
(1)	कुल व्यय (लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार)	नोट 1			
(i)	प्रचालनिक व्यय (मूल्यहास सहित)				
(ii)	प्रबंधन व सामान्य ऊपरी शीर्ष				
(iii)	वित्त व विविध व्यय (एफएमई)				
	कुल व्यय $1=(i)+(ii)+(iii)$				
(2)	घटाएं समायोजन				
(i)	(क) संपदा संबंधी व्यय (मूल्यहास सहित)				
	(ख) नियतन प्रबंधन व प्रशासनिक ऊपरीशीर्ष				
	(ग) नियतन (एफएमई)				
	सब टोटल 2 (i) $=(क) +(ख) +(ग)$				
(ii)	उदार पर ब्याज				
(iii)	एक बार व्यय का 4/5 यदि कोई श्रमिक का बकाया, पेंशन/ उपदान का बकाया, अनुग्रहपूर्वक भुगतान का बकाया, आदि (प्रत्येक मद की सूची बनाएं)	नोट 2			
	(क)				
	(ख)				
	(ग)				
	सब टोटल 2 (iii) $=(क) +(ख) +(ग)$				
(iv)	पेंशन निधि हेतु अंशदान का 4/5	नोट 3			
(v)	प्रबंधन व सामान्य ऊपरी, प्रचालनिक व्यय व मूल्यहास का पूर्णयोग का 25% के अतिरिक्त	फार्म2 के अनुसार			

(vi)	कैप्टीव बर्थ का टैरिफ निर्धारण हेतु सुसंगत व्यय, यदि कोई टैरिफ नीति 2015 का खंड 2.10 के अधीन शासित				
	(क) संपदा संबंधी व्यय				
	(ख) मूल्यहास				
	(ग) नियतन प्रबंधन व प्रशासनिक ऊपरीशीर्ष				
	(घ) नियतन (एफएमई)				
	सब टोटल 2 (vi) =(क) +(ख) +(ग)+ (घ)				
	कुल का $2=2(i)+2(ii)+2(iii)+2(iv)+2(v)+2(vi)$				
(3)	कुल समायोजन के बाद कुल व्यय (3=1-2)				
(4)	क्रम सं0 3 का औसत व्यय = $(Y1+Y2+Y3)/3$				
(5)	नियोजित पूंजी				
	(i) 31.3.2014 की तिथि के अनुसार निवल नियत परिसंपत्ति (लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार)				
	(ii) जोडे: 31.3.2014 की तिथि के अनुसार प्रगतिशील कार्य (लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार)				
	(iii) घटाएं : लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार 31.3.2014 की तिथि के अनुसार संपदा गतिविधि से संबंधित नियत परिसंपत्ति का निवल मूल्य				
	(iv) घटाएं : नियत परिसंपत्ति का निवल मूल्य यदि कोई, लेखा परीक्षित लेखे के अनुसार 31.3.2014 की तिथि के अनुसार बीओटी प्रचालकों के लिए अंतरित यदि कोई ।				
	(v) घटाएं : कैप्टीव बर्थ हेतु विचार योग्य				

	संगत लेखा परीक्षित लेखे के अनुसार 31.3.2014 की तिथि के अनुसार नियत परिसंपत्ति का निवल मूल्य यदि कोई, टैरिफ नीति 2015 के खंड 2.10 के अधीन।				
	(vi) जोड़े: कार्य निर्देशिका का खंड 2.5 में विनिर्धारित मानकों के अनुसार कार्यशील पूंजी	फार्म 4 के अनुसार व नोट 4			
(6)	नियोजित पूंजी पर आय क्रम सं0 5 (vii) पर 6%				
(7)	31 मार्च 2014 (4) + (5) की स्थिति के अनुसार वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एपीआर)				
(8)	वर्ष 2014-15 हेतु लागू डब्ल्यूपीआई का 100% पर एपीआर में सूचकांक यानी 6% पर (7*1.06)				
(9)	वर्ष 2014-15 हेतु लागू डब्ल्यूपीआई का 100% पर एपीआर में सूचकांक यानी 3.82% पर (8*1.0382)				
10	उच्चतम सीमा सूचक वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एपीआर)				
11	उपर्युक्त क्र सं0 10 में प्राक्कलित उच्चतम सीमा सूचक एपीआर में प्रस्तावित सूचक एसओआर में राजस्व प्राक्कलन				
	<u>प्रमाणपत्र</u>				
	यह प्रमाणित किया जाता है कि वार्षिक राजस्व अपेक्षा का निर्धारण हेतु उक्त विवरण में दी गई जानकारी पत्तन न्यास के संबंधित वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के संदर्भ में सत्यापित किया गया है और क्रमानुसार प्राया गया है ।				
	महा पत्तन न्यास के वित्त विभाग के प्रधान लेखाकार या व्यवहार में लागत व प्रबंधन लेखाकार				चार्टरित

	दिनांक :
	दिनांक :
	स्थान :
	स्थान :

टिप्पणियाँ

1. प्रत्येक के वर्षों हेतु उक्त विवरण में विचारयोग्य कुछ व्ययों के साथ संबंधित वर्षों के लिए वार्षिक लेखों के अनुसार कुल व्यय को मेल-मिलाप करके समाधान विवरण दें ।
2. (i) लेखा परीक्षित लेखों में दी गई राशि और उक्त विवरण में प्रत्येक के एक बार व्यय हेतु विचार योग्य राशि का कार्य समाधान का विस्तृत ब्योरा दें ।
(ii) एक बार व्यय का शामिल करने हेतु समायोजन टैरिफ नीति 2015 के खंड 2.2 (iii) के साथ किया जाय। औसत परिकलन करते समय एक बार व्यय का 1/5 जैसे मज़दूरी का बकाया, पेंशन/उपदान का बकाया, अनुग्रही अदायगी का बकाया आदि जो वेतन संशोधन से उठनेवाले हैं को अलग कर दिया जाय । इसका मतलब है, यदि एक बार व्यय का 4/5 का अलग कर देने के लिए उपर्युक्त क्र सं0 2(iii) का अंक तीन वर्षों में से मात्र एक विशिष्ट वर्ष हेतु रिपोर्ट किया है, बाद में, क्र सं0 2(iii) का अंक को औसत खर्चों का परिकलन करने के लिए क्र सं0 4 में वही अंक औसत लिए बिना उसे ऐसे ही माल लेना चाहिए । यदि उक्त क्र सं0 2(iii) पर आंकड़े, तीन वर्षों में से दो वर्षों के लिए रिपोर्ट किया जो क्र सं0 4 पर औसत व्ययों का परिकलन करते समय बाद में दो वर्षों का औसत अंत में लिया जाना चाहिए ।
3. लेखा परीक्षित लेखों में रिपोर्ट की गई राशि और उक्त विवरण में पेशन निधि के लिए अंशदान के प्रति विचारयोग्य राशि का कार्य समाधान का विस्तृत विवरण दें ।
4. फार्म 4 में विनिर्धारित प्रपत्र के अनुसार कार्य-निर्देशिका के खंड2.5 में विहित मानकों का पालन करते हुए कार्यशील पूंजी के प्रत्येक घटकों के लिए विस्तृत कार्य का विवरण दें ।
5. उक्त क्र सं0 11 में उपर्युक्त तालिका में उच्चतम सीमा एपीआर परिकलन सूचक के आधार पर महा पत्तन न्यासों ने टैरिफ नीति 2015 के खंड 2.5, 2.6, 2.7 और कार्य निर्देशिका के खंड 2.9 से 2.12 का पालन करते हुए दरमान (एसओआर) तैयार करना चाहिए ।

प्रबंधन व सामान्य ऊपरी संबंधी कार्य

(रु लाखों में)

क्र सं०	विवरण	वर्ष 1 (2011-12)	वर्ष 2 (2012-13)	वर्ष 3 (2013-14)
(1)	प्रबंधन व सामान्य ऊपरी (मूल्यहास सहित) (लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार)	100		
(2)	प्रचालनिक व्यय (मूल्यहास सहित लेकिन संपदा संबंधी प्रचालनिक व्यय अलग कर) (लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार)	100		
(3)	ऊपर 2 का 25%	75		
(4)	प्रबंधन व सामान्य ऊपरी स्वीकार्य (ऊपर (1) व (3) का कनिष्ठतम)	75		
(5)	फार्म 1 में समायोजन हेतु विचारयोग्य प्रबंधन व सामान्य ऊपरी (1-4)	25		
	(यह एक नमूना अभिकलन मात्र है)			

मानकों के अनुसार कार्यशील पूंजी का अभिकलन

क्र सं०	मानकों के अनुसार कार्यशील पूंजी मद	31.03.2014 की तिथि के अनुसार लेखा परीक्षित वार्षिक लेखें में यथा रिपोर्ट	कार्यशील- निर्देशिका के खंड 2.5 के अनुसार मानक	फार्म 2 में विचार योग्य
(i)	स्वीकार्य मालसूची			
(क)	पूंजी पुर्जे		एक वर्ष औसत अभिकलन	
(ख)	इंधन व रूढ़ीगत पुर्जे अलग कर अन्य माल सूची		छः माह औसत अपेक्षाएं	
	सब टोटल (i)= (क)+ (ख)			
(ii)	स्वीकाय योग्य फुटकर देन दारियाँ			
(क)	संपदा आय			
(ख)	इंडियन रैल्वेसद्व द्वारा देय टर्मिनल प्रभारें		2 माह	
	सब टोटल (ii)= (क)+ (ख)		2 माह	
(iii)	स्वीकार्य नकद शेष			
	कैश एक्सप्रेस		एक माह कैश एक्सप्रेस	
	सब टोटल (iii)			
(iv)	मानकों के अनुसार कुल कार्यशील पूंजी (i+ii+iii)			

निष्पादन मानक

क्र सं०	निष्पादन प्राचल	प्रस्तावित निष्पादन मानक
(1)	माल संबंधी सेवाएं :	
(क)	प्रमुख माल समूहों के लिए औसत शिप बर्थ दिवस उत्पादन	
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
(ख)	कंटेनरों के लिए औसत संचालन प्रति घंटा (टीईयू में)	
(2)	पोत संबंधी सेवाएं	
(क)	पोत का औसत टर्न राउंड समय (दिनों में)	
(ख)	पोत का औसत बर्थ पूर्व समय (दिनों में)	
(3)	पत्तन द्वारा संगत पाए गए किसी अन्य प्राचल	